

पत्रांक 10/न4-12/2002/वि10- 580

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

श्री

श्री एम0 दास
विशेष निदेशक (मा0) बिहार

सया में,

राज्य,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन,
श्री श्री केन्द्र, कम्प्यूनिटी सेन्टर, पोत बिहार
विकारा मार्ग, नई दिल्ली-110092

पडना, दिनांक 1-11-04

राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के
संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
बताना है कि दिनांक 4.10.04 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से तैयार गए
निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत करने का निर्णय
किया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के शिक्षण के
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक/
शिक्षकेतर कर्मियों को करना होगा तथा उन विद्यालयों में सी0बी0एस0ई0, बहसक
समर्पण के अनुरूप भवन में तदनुसंग विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करनी होगी:-

- 11- गैट शेन्ता हाई स्कूल, पेगम की हवेली, पटनासिटी
- 12- पूज्य तपस्वी श्री राजीवजी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर
राजगीर।
- 13- सान्दरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, देवी झोलेन, बूढ़ानाथ,
भागलपुर
- 14- आर0पी0 स्कूल, कवहरी रोड, बिहारशरीफ, नभतदा
- 15- आर0एस0एस0 पब्लिक स्कूल, गुपीत
- 16- इम्पेरियल पब्लिक स्कूल, हथुआ, गोपालगंज
- 17- डॉ0 दुखनराम डी0एस0 पब्लिक स्कूल, गौला रोड, टानापुर, पटना
- 18- पी0पी0एस0 स्कूल, वैकटेश्वरनगर, अठवल रोड, जहानाबाद
- 19- नोट्रेस स्कूल, पुर
- 10- मर्दा इंटरनेशनल एकेडेमी, एफ0सी0आइ0 रोड, फुलवारीशरीफ, पटना
- 11- रेडियेन्ट इंटरनेशनल स्कूल, खगोल रोड, पटना
- 12- एडिसेड वॉन्ट स्कूल, त्रिगुप्तनगर, कंकडवाग, पटना
- 13- डी0एस0पी0 पब्लिक स्कूल इंडस्ट्रीयल एरिया, बरारी, भागलपुर
- 14- रामकृष्ण वि. मंदिर उच्च विद्यालय, मांथी निकुंज, रत्नकुंज,
भागलपुर

1-11-04

सी0बी0एस0ई0

- 15. साताराम डी०एस०के पब्लिक स्कूल, - विद्यालय का संरक्षित पत्र साताराम डी०एस०के पब्लिक स्कूल, पुवरी, साताराम
- 16. एलिगेन्ट पब्लिक स्कूल, कटारीडिग रोड, गया

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वामाजिन,

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04
 प्रतिलिपि साताराम डी०एस०के/साताराम डी०एस०के प्राथमिक शिक्षा, विभाग, विहार, पटना को सूचना के लिए प्रेषित।

2- सैद्धांतिक न्यायता को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष का-से-का एक विद्यार्थी को निर्धारित किया जाएगा।

3- निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त वापस लेने का कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिफ्टर कमियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कमियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विचलन किया जा रहा हो,

ख। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जमा नहीं किये जाते अथवा वास्तविक त्रुटि से भिन्न होने पर,

ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए एडमिशन की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,

घ। विद्यालय सभी प्रतिविधि से रक्षित हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध हो एवं शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा हो;

ङ। सी०सी०एस०के, मापदण्ड के अन्तर्गत भवनों में सी०सी०एस०के मापदण्ड के अनुरूप विद्यार्थियों को तहसील निर्धारित नहीं किए जाने पर।

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04
 प्रतिलिपि साताराम डी०एस०के/साताराम डी०एस०के प्राथमिक शिक्षा, विभाग, विहार, पटना को सूचना के लिए प्रेषित।

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04
 प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक, जनन विभाग, विहार, पटना को सूचना के लिए प्रेषित।

विश्वामाजिन